क्रम संख्या–08 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 06 जनवरी, 2010 ई0
पौष 16, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 17 / XXXVI(3) / 2010 / 89(1) / 2009
देहरादून, 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009'** पर दिनांक 05 जनवरी, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन हेतु–

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को विवर्जित करते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 34 का निरसन

2–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 34 उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

निरसन और अपवाद

3–ऐसे निरसन के होते हुए भी मूल अधिनियम की उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (The Uttar Pradesh special area development Act, 1986) Bill, 2009' (Adhiniyam Sankhya 09 of 2010).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 January, 2010).

No. 17/XXXVI(3)/2010/89(1)/2009
Dated Dehradun, January 06, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARKHAND (THE UTTAR PRADESH SPECIAL AREA DEVELOPMENT ACT, 1986) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT NO. 09 OF 2010)

To further amend The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Special Area Development Act, 1986) Adaptation and Modification Order , 2006 in its application to the State of Uttarakhand.

AN

Act

[Be it enacted by State Assembly in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows]

Short Title, extent and Commencement

1. (1) This Act may be callled the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Special Area Development Act, 1986) Adaptation and Modification Order, 2006 Act, 2009.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand except Contonment areas.

(3) It shall come into force at once.

2. Section 34 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Special Area Development Act, 1986) Adaptation and Modification Order, 2006 hereinafter referred to as Principal Act is hereby repealed in relation to the State of Uttarakhand. Repeal of Section 34 of the Principal Act

3. Not withstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at the all material times. Repeal and Savings

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 15 विधायी/43–2010–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।